



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102020-222568
CG-DL-E-20102020-222568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445]
No. 445]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2020

(सनदी लेखाकार)

सं. 1 सी. ए. (7) (194) /2020.—जबकी सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 159 (1A) के अनुसरण में, अधिसूचना संख्या 1 - CA (7) /177 /2016 दिनांक 08 /04 /2016 द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद् ने , दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 14 अगस्त , 2015 से कांचीपुरम ज़िला, मुख्यालय ताम्रम, तमिलनाडु में स्थापित की |

जबकी तमिलनाडु सरकार ने, सरकारी आदेश संख्या (विविध) 428 एवं 429 दिनांक 12 नवम्बर, 2019 द्वारा कांचीपुरम ज़िले का विभाजन दो राजस्व ज़िले, कांचीपुरम ज़िला जिसका मुख्यालय कांचीपुरम एवं चेन्नलपट्टू ज़िला जिसका मुख्यालय चेन्नलपट्टू में हो , किया ।

भारतीय लेखाकार संस्थान की परिषद् की 393 बैठक जो की 30 जून एवं 1 जुलाई, 2020 को हुई, उसमें दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् एवं उक्त परिषद् की प्रबंध समिति की अनुशंसा के विचारोपरांत निम्नलिखित निर्यण लिए:

- दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की कांचीपुरम ज़िला शाखा को चेन्नलपट्टू ज़िला शाखा जिसका मुख्यालय ताम्रम में होगा, के नाम से जाना जाएगा।

- इस शाखा के क्षेत्राधिकार में वो सदस्य जिनका पता अभी तक कांचीपुरम शाखा जिसके दो राजस्व ज़िला चेन्नलपट्टू एवं कांचीपुरम तमिलनाडु में है , आएंगे।

तदनुसार , परिषद् के उपरोक्त निर्यण को कार्यान्वित करने के लिए , ये अधिसूचना सनदी लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 159 (1 A) के अंतर्गत जारी किया जाता है।

जैसा कि विनियम 159 (3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण , पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी , जो परिषद् द्वारा समय - समय पर जारी किये जाएंगे।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./305/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2020

(Chartered Accountants)

No.1-CA(7)/194/2020.—Whereas in pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, by Notification no 1-CA (7)/ (177)/ 2016 dated 8.4.2016, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) had set up of a Branch of Southern India Regional Council (SIRC) in Kanchipuram District, Tamil Nadu with effect from 14th August, 2015 with its Headquarter at Tambaram.

Whereas the Government of Tamil Nadu, vide G.O.(Ms) No. 428 dated 12/11/2019 and G.O.(Ms) No. 429 dated 12/11/2019 has notified bifurcation of Kanchipuram District into two Revenue Districts viz., Kanchipuram District with Kanchipuram as its headquarters and Chengalpattu District with Chengalpattu as its headquarters.

The Council of ICAI at its 393rd Meeting held on 30th June and 1st July, 2020 on consideration of recommendations of SIRC and Management Committee of the Council in the matter, decided as under:

- Kanchipuram District Branch of SIRC shall be renamed as Chengalpattu District Branch of SIRC with its headquarter at Tambaram.
- Jurisdiction of the Branch will be Members having their addresses registered in the erstwhile Kanchipuram District viz. Revenue Districts of Chengalpattu and Kanchipuram in Tamil Nadu.

Accordingly, to give effect to the above decision of the Council, this notification under Regulation 159 (IA) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 is hereby issued.

As prescribed under Regulation 159(3), Chengalpattu District Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through SIRC and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT-III/4/Ety./305/2020-21]